झारखण्ड सरकार
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

पत्रांक–5 / प्रशि0(प्रशि0)–01 / 2023 - 1093 रॉची, दिनांक– 10/07/23

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023–24–25 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित अंतिम मेधा –सूचियों के आधार पर आयोजित की जाने वाली ऑनलाईन कॉउन्सीलिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण विस्तृत सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा NCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023–24–25 में विभिन्न व्यवसायों में अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित अंतिम मेधा–सूची विभाग के वेबसाईट iti.jharkhand.gov.in पर Homepage में दिनांक 14.07.2023 को जारी कर दी जायेगी।

2. विभाग द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा–सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023–24–25 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये आयोजित की जाने वाले ऑनलाइन प्रथम एवं द्वितीय कॉउन्सीलिंग कार्यक्रम निम्नवत् है :–

Time Schedule for 1st Round of online Counselling

Sl. No	Activity	Date	
		Date	To
1	Choice filling of Trade (s) and /or ITI (s)	17.07.2023	23.07.2023
2	Seat Allotment and Downloading provisional seat Allotment Letter	26.07.2023	10.08.2023
3	Admission in the concerned ITI	26.07.2023	10.08.2023

Time Schedule for 2nd Round of online Counselling

Sl. No	Activity	Date	
		Date	To
1	Choice filling of Trade (s) and /or ITI (s)	14.08.2023	20.08.2023
2	Seat Allotment and Downloading provisional seat Allotment Letter	23.08.2023	06.09.2023
3	Admission in the concerned ITI	23.08.2023	06.09.2023

3. 8वीं एवं 10वीं कक्षा की अंतिम मेधा सूची में शामिल आवेदकों / अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान / संस्थानों तथा व्यवसाय / व्यवसायों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध "online Counselling for Admission in ITI- 2023" Link में जा कर Login करने के पश्चात् दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक संस्थान / व्यवसाय विकल्पों का चयन करें।

4. Call for Counseling के सात दिनों के अन्दर अभ्यर्थियों को अपने Allotted seats में से एक सीट बुक करा लेना अनिवार्य है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सीट बुक कराने के उपरान्त नामांकन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन लिया जा सकता है।

5. सभी सरकारी (LWE सहित) / निजी / टी0एस0पी0 / सी0एस0आर0 / पी0पी0पी0 मोड पर NCVT से संबंधन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाईन काउन्सीलिंग के द्वारा अनिवार्य रूप से नामांकन लिया जायेगा।

E/J/Kuj/Nama. 23-24 31

6. द्वितीय (Second) ऑनलाईन कॉउन्सीलिंग में नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित सीटों का विनियम झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–02/2019 का0 --1434/राँची, दिनांक 15.02.2019 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार किया जायेगा।

उक्त सूचना को Jharkhand के ITI Webportal (https://iti.jharkhand.gov.in) के Download Section के Notification Tab में देखा / download किया जा सकता है।

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–5/प्रशि0(प्रशि0)–01/2023 - 1093 राँची, दिनांक 10/07/23

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

2 माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।